



सत्यमेव जयते

S.No 22 - Issued
23/3/2009

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय,

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS,

(पोत परिवहन विभाग / Department of Shipping),

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING,

23 MAR 2009

टेलीफोन : 22613651 - 54

फैक्स : 91-22-22613655

E-mail : dgship@dgshipping.com

'जहाज़ भवन' / 'JAHAZ BHAVAN'

वालचंद हीराचंद मार्ग / W. H. MARG,

मुंबई / MUMBAI - 400 001.

Tele : 22613651 - 54

Fax : 91-22-22613655

Web : www.dgshipping.com

सं. / No : MSL- 2(6)/2003-II

दिनांक / Dated : 6 March, 2009

Sub: Framing of Merchant Shipping (Civil Liability for Oil Pollution Damage) Rules, 2008

The Merchant Shipping (Civil Liability for Oil Pollution Damage) Rules, 2008 was published in the Gazette of India G.S.R. 219 (E) on 27th March, 2008. The said Notification has been laid on the Tables of both Houses of Parliament on 11.12.2008. A copy of the Notification, both in Hindi and English is forwarded herewith for necessary action.

(V. Rajendran)


Dy. Director General of Shipping

To

1. The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Mumbai/Kolkatta/Chennai/Kandla/Kochi
2. The Surveyor-In-Charge, Mercantile Marine Department, Goa/Haldia/Jamanagar /New Mangalore/Noida /Paradip Port Blair/Tuticorin/Visakhapatnam
3. The Secretary, Indian National Shipowners' Association, 22 Maker Tower F (2nd Floor), Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.
4. The Shipping Corporation of India Ltd., (SCI) Shipping House, 245, Madame Cama Road, Mumbai - 400 021.
5. The Director, Foreign Owner Representatives & Shipmanagers Association, 1517, Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai 400 021.
6. The Secretary, Maritime Association of Shipowners, Shipmanagers & Agents, Mackinnon Mackenzie Building, 1st Floor, 4, Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001.
7. The President, Indian Register of Shipping, 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai, Mumbai- 400 072.
8. The Nautical Adviser to the Government of India
9. The Chief Surveyor with the Government Of India
10. The Dy. Chief Ship Surveyor
11. DDG (Coastal)


12. NS (DK)

13. Computer Cell for necessary action



11. DDG (Coastal)

96
Fabi
18/12/10





भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2008/चैत्र 7, 1930

No. 150]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2008/CHAITRA 7, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)
(पोत परिवहन खंड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

सा.का.नि. 219(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44)की धारा 352द द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व के बीमा प्रमाणपत्र का प्ररूप)नियम, 1985 को अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "पोत टनभार" से वह सकल टन भार अभिप्रेत है जो वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1987 के अनुसार संगणित किया जाता है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ङ) "लेखा इकाई" से भारत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा यथा परिभाषित विशेष आहरण अधिकार अभिप्रेत है जिसे निधि के गठन तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाअवधारित विशेष आहरण अधिकार का रूपों में शासकीय मूल्य के आधार पर रूपों में संपरिवर्तन किया जाएगा।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

3.स्वामी के दायित्व की परिसीमा -- किसी पोत का स्वामी निम्नलिखित की संकलित रकम तक किसी एक घटना के संबंध में तेल प्रदूषण क्षति के लिए उसके दायित्व को सीमित करने का हकदार होगा -

(क) 4,510,000 लेखा इकाई, जहां पोत टनभार 5,000 ईकाई से अधिक नहीं होता है ;

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त टनभार इकाई के लिए 631 लेखा इकाई, जहां पोत टनभार 500 इकाई टनभार से अधिक नहीं होता है ;

परंतु उक्त संकलित रकम किसी भी दशा में 89,770,000 लेखा ईकाई से अधिक नहीं होगी।

4. बीमा/अन्य वित्तीय प्रतिभूति के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए आवेदन — भारतीय पोत के ऐसे स्वामी जिसने धारा 352B की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उस पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति पोषित की है, तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व के संबंध में बीमा /अन्य वित्तीय प्रतिभूति के प्रमाणपत्र के जारी या नवीकरण किए जाने के लिए महानिदेशक को प्ररूप “क” में आवेदन करेगा।

(2) किसी विदेशी पोत का स्वामी या अभिकर्ता जिसने तेल प्रदूषण क्षति की नागरिक दायित्व संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 (समय-समय पर यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार ऐसे विदेशी पोत के संबंध में बीमा या अन्य प्रतिभूति पोषित की है, भी तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व के संबंध में बीमा /अन्य वित्तीय प्रतिभूति के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए महानिदेशक को प्ररूप “क” में आवेदन कर सकेगा।

(3) उप नियम (1) और (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो उसमें उल्लिखित की जाएं और उसके साथ ऐसे बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति के पोषित करने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य होगी और पोत परिवहन महानिदेशक के पक्ष में बनाए गए मांग देय ड्राफ्ट द्वारा पांच हजार रुपए की फीस होगी।

5. तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व के संबंध में बीमा / अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाणपत्र -- (1) नियम 4 के उपनियम (1) या उप नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् महानिदेशक उस पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति के पोषण के बारे में समाधान हो जाने पर तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व के संबंध में प्ररूप “ख” में बीमा/अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

6. दूसरा प्रमाणपत्र का जारी किया जाना -- जहां नियम 5 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र नष्ट या विरूपित या अन्यथा खो जाता है वहां पोत का स्वामी या अभिकर्ता एक हजार रुपए की फीस के संदाय पर दूसरा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए महानिदेशक को प्ररूप “ग” में आवेदन कर सकेगा।

परंतु यदि खोया हुआ प्रमाणपत्र बाद में उसके स्वामी या उसके अभिकर्ता को मिल जाता है या पाया जाता है तो वह उसे महानिदेशक को लौटा देगा।

7. शास्ति — जो कोई भी इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा धारा 458 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने से दंडनीय होगा।

प्ररूप - “क”
(नियम 4 देखिए)

अधिनियम के अधीन पोषित बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप

1. पोत का नाम :
2. सुभिन्न संख्यांक या पत्र :
3. रजिस्ट्री का पत्तन :
4. स्वामी/अभिकर्ता का नाम और पता :

5. (i) सकल टनभार
(ii) शुद्ध टनभार
(रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र की एक फोटोप्रति संलग्न करें)
6. (क) पोषित बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की विशिष्टियां
(बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का पोषण दर्शित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
- (ख) दायित्व की सीमाएं
(ग) विधिमान्यता की अवधि
(विधिमान्यता की अवधि दर्शित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
7. संदत्त फीस (रुपये में)
(पोत परिवहन महानिदेशक के पक्ष में बनाए गए मांग देय झाफ्ट द्वारा संदेय)

मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सत्य और ठीक है। तदनुसार मैं आपसे बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध करता हूँ।

मुझे यह आवेदन करने के लिए स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया है। (अभिकर्ता की दशा में)

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

- जो लागू न हो उसे काट दें।
- कोई विद्यमान या पिछला प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा।

प्ररूप - "ख"
(नियम 5देखिए)

(पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप -)

तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाणपत्र

पोत का नाम	सुभिन्न संख्या या पत्र	रजिस्ट्री का पत्तन	स्वामी का नाम और पता

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित पोत के संबंध में नियम 4/तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1992/ तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 की अपेक्षाओं की तुष्टि करते हुए बीमा पालिसी या अन्य वित्तीय प्रतिभूति प्रवृत्त है।

प्रतिभूति का प्रकार.....

.....से.....तक

प्रतिभूति की कालावधि

बीमाकर्ता (ओं) और/या गारंटीकर्ता (ओं) का नाम और पता

नाम

पता

यह प्रमाणपत्रतक विधिमान्य है।

स्थान..... तारीख.....को जारी हुआ

जारी करने वाले या प्रमाणित करने वाले पदधारी के हस्ताक्षर और नाम
स्पष्टीकारक टिप्पण :

1. यदि वांछित हो, राज्य के पदाभिधान में उस देश के सक्षम लोक प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जाए जहाँ प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
2. यदि प्रतिभूति की कुल रकम एक स्रोत से अधिक स्रोतों द्वारा दी गई है तो उनमें से प्रत्येक की रकम को दर्शित किया जाना चाहिए।
3. यदि प्रतिभूति अनेक रूपों में दी गई है तो इनकी परिगणना की जानी चाहिए।
4. "प्रतिभूति की कालावधि" प्रविष्टि में वह तारीख नियत होनी चाहिए जिसको ऐसी प्रतिभूति प्रभावी होती है।

प्ररूप - "ग"
(नियम 6 देखिए)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन पोषित बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप)

1. पोत का नाम :
2. सुभिन्न संख्यांक या पत्र :
3. रजिस्ट्री का पत्तन :
4. स्वामी/अधिकर्ता का नाम और पता :
5. (i) सकल टनभार
(ii) शुद्ध टनभार
(रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र की एक फोटोप्रति संलग्न करें)
6. (क) पोषित बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की विशिष्टियां
(बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का पोषण दर्शित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

(ख) दायित्व की सीमाएं
(ग) विधिमान्यता की अवधि
(विधिमान्यता की अवधि दर्शित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
7. संदत्त फीस (रुपये में) :
(पोत परिवहन महानिदेशक के पक्ष में बनाए गए मांग देय ड्राफ्ट द्वारा संदेय)

में सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सत्य और ठीक हैं और कि नियम-4 में वर्णित बीमा प्रमाणपत्र निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन विरूपित/नष्ट हो गया था या अन्यथा खो गया था :-

1136 GI/08-2

तदनुसार मैं आपसे बीमा का दूसरा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध करता हूँ। मुझे यह आवेदन करने के लिए स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया है (अधिकर्ता की दशा में)।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

- जो लागू न हो उसे काट दें।
- विरुद्ध प्रमाणपत्र को आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

[फा: सं. एस आर-11012/9/2004-एम जी]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(SHIPPING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2008

G.S.R. 219(E)—In exercise of the powers conferred by section 352R of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of the Merchant Shipping (Form of Certificate of Insurance for Civil Liability for Oil Pollution Damage) Rules, 1985, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Civil Liability for Oil Pollution Damage) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) “Form” means a Form annexed to these rules;

(c) “Ship’s tonnage” means the gross tonnage which is calculated in accordance with the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987;

(d) “Section” means section of the Act;

(e) "Unit of Account" means the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund in respect of India which shall be converted into rupees on the basis of official value in rupees of Special Drawing Right as determined by Reserve Bank of India on the date of constitution of Fund..

(2) The words and expressions used in these rules but not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Limitation of Liability of the owner.- The owner of a ship shall be entitled to limit his liability for oil pollution damage in respect of any one incident, to an aggregate amount of -

(a) 4,510,000 units of account, where the ship's tonnage does not exceed 5,000 units of tonnage;

(b) 631 units of account, for every additional unit of tonnage, where the ship's tonnage exceeds 5,000 units of tonnage:

Provided that the said aggregate amount shall, not in any event, exceed 89,770,000 units of account.

4. Application for issue of Certificate of Insurance/other Financial Security.- (1) The owner of Indian ship, who has maintained insurance or other financial security in respect of that ship in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 352N, shall make an application to the Director General for issue or renewal of Certificate of Insurance/other Financial Security in respect of civil liability for oil pollution damage, in Form "A".

(2) The owner or agent of any foreign ship, who has maintained insurance or other financial security in respect of such foreign ship in accordance with the provisions of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (as amended from time to time), may also make an application to the Director General for issue of a Certificate of Insurance/other Financial Security in respect of civil liability for oil pollution damage, in Form 'A'.

(3) Every application under sub-rules (1) and (2) shall contain such particulars as may be mentioned therein and be accompanied by documentary evidence regarding maintenance of such insurance or other financial security and a fee of rupees five thousand by demand draft drawn in favour of Director General of Shipping.

5. Certificate of Insurance/other Financial Security in respect of civil liability for oil pollution damage.- (1) After receiving the application under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 4, the Director General shall, on being satisfied about the maintenance of insurance or other financial security in respect of that ship, issue the Certificate of Insurance/other Financial Security in respect of civil liability for oil pollution damage, in Form "B".

6. Issue of duplicate certificate .- Where, the certificate issued under rule 5 is destroyed or defaced or otherwise lost, the owner or agent of the ship may apply to the Director General for issuance of a duplicate certificate on the payment of a fee of rupees one thousand, in Form "C":

Provided that in case a lost certificate is traced or found by the owner or his agent subsequently, he shall return the same to the Director General.

7. Penalty.- Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punishable with fine in accordance with the provisions of section 458.

FORM "A"

(See rule 4)

Form of application for Certificate of Insurance or other Financial Security maintained under the Act:

1. Name of the Ship :
2. Distinctive Number or letters :
3. Port of Registry :
4. Name of Owner/ agent and address :
5. (i) Gross Tonnage :
(ii) Net Tonnage :
(Attach a photo copy of Certificate of Registry)
6. (a) Particulars of Insurance or other financial security maintained :
(Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)
(b) Limits of the Liability :
(c) Period of validity :
(Attach documentary evidence to show period of validity)
7. Fee paid (in rupees) :
(Payable by demand draft drawn in favour of Director General of Shipping)

I hereby solemnly declare that the particulars given in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I request you to issue Certificate of Insurance or other Financial Security accordingly.

I have been authorized by the owner to make this application (*in case of agent*).

Place :

Date :

Signature of Applicant
Name:

- *Strike out if not applicable.*
- *any existing or expired certificate shall be enclosed*

FORM "B"

(See rule 5)

(Form of Certificate to be issued by the Director General of Shipping)

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Name of ship	Distinctive Number or letters	Port of registry	Name and address of owner

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of rule 4/the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992/ International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

Type of Security.....

.....

Duration of Security.....

.....

Name and Address of the Insurer (s) and / or Guarantor (s)

Name:

Address:

This certificate is valid until:

Issued or certified by the Government of India.....

.....
(Full designation of the State)

At.....On.....
(Place) (Date)

.....
Signature and Title of issuing or certifying official
Explanatory Notes:

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the certificate is issued.
2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.
3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
4. The entry "Duration of Security" must stipulate the date on which such security takes effect.

1136 GI/08-3

FORM "C"

(See Rule -6)

(Form of application for a duplicate Certificate of Insurance or other Financial security maintained under the Merchant Shipping Act, 1958)

1. Name of Ship :
2. Distinctive Number or letters :
3. Port of Registry :
4. Name of Owner/agent and address :
5. i) Gross Tonnage :
ii) Net Tonnage (Attach a photo copy of Certificate of Registry) :
6. a) Particulars of insurance or other financial security maintained (Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)
b) Limits of the Liability :
c) Period of validity (Attach documentary evidence to show period of validity) :
7. Fee paid (in rupees) :
(payable by demand draft drawn in favour of Director General of Shipping)

I hereby solemnly declare that the particulars contained in this form are true and correct to the best of my knowledge and that Certificate of Insurance described in Rule - 4 was defaced / destroyed or otherwise lost under the following circumstances :-

▪
▪

I request you to issue a duplicate Certificate of Insurance accordingly. I have been authorized by the owner to make this application (in case of agent)

Place :

Date :

Signature of Applicant

Name :

Address:

- Strike out if not applicable.
- Defaced Certificate to be attached with the application

[F.No. SR-11012/9/2004-MG]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.